भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर—केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून—248001
दूरभाषः 0135—2650809
फैक्स—0135—2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &

CLIMATE CHANGE

REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)

25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001

PHONE- 0135-2650809

FAX- 0135-2653010

Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी. / यू.सी.पी. / 01 / 195 / 2019 / एफ0 सी0 / 7-68

दिनांक 29/07/2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद-पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल (क्षमता-4x3000 किलोवाट) विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 9.397 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु यू०जे०वी०एन० लिमिटेड को हस्तान्तरण। (FP/UK/HYD/42080/2019)

सन्दर्भः—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक — 105 / FP/UK/ HYD/42080/2019 दिनांक 20-07-2020

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियां पाई गयी है। अतः राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, तािक अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:—

- 1. In reply to point no. 9, the number of trees at FRL, FRL-2m and FRL-4m still mentioned as 16, 216 and NIL respectively which does not appear correct. State Government may make necessary correction.
- 2. In reply to point No. 11, area of muck disposal yards (0.08 ha) given in B-2.4 does not match with the area given in MDP (0.06 ha). State Government may clarify this discrepancy.
- 3. In reply to EDS point No. 13, it is mentioned that 5.00 ha area (in place of 5.00 ha MDF in the earlier selected CA area) has been selected in degraded RF land i.e. Chandikaghat Comptt. No. 08 in Gangolihat Range. State Government may upload the CA estimate, KML file in CA, geo-referenced map and SoI toposheet as submitted with the reply may be uploaded at para-13 of Part –II.
- 4. In view of point No. 04 above, State govt. is required to revise the CA estimate submitted earlier for 18.794 ha $(9.397 \times 2 = 18.794)$ to 13.794 ha and submit the patchwise estimate.

5. In reply to EDS point No. 14, it is mentioned that the TEC and IA are not required in the instant case. The State Govt. may provide the copy of the corresponding rules/guidelines.

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :--

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)